आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.4.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बी0एल0टी0 वाद सं0– 110/2014–15

बद्री यादव **बनाम** बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री बद्री यादव, पिता–स्व0 पांचू यादव, ग्राम–बरहरा, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया की ओर से Member Administrator The Bihar Land Tribunal, Patna के बी0एल0टी0 वाद सं0 480/2014 में दिनांक 05.08.2014 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 25.09.2014 को इस न्यायालय में आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के Land Dispute Appeal No. 261/2013 में दिनांक 13.03.2014 को पारित आदेश की प्रति के साथ निम्न विवरण की भूमि पर दाखिल किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
बड़हरा अंचल–नरपतगंज	136	1475	1 डी0 8 वर्गकड़ी

मान्नीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पारित आदेश दिनांक 13.03.2014 के अनुपालन में विपक्षी को सूचना निर्गत कर प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने का निदेश दिया गया। विपक्षी पृथ्वीचंद यादव उपस्थित हुए किन्तु उन्हें कई मौका दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया। ततपश्चात् दिनांक 19.12.2015 को विपक्षी के समयावधि आवेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने से वंचित करते हुए वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 03.08.2016 को निश्चित किया गया। सुनवाई की तिथि को भी विपक्षी द्वारा समयावधि आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसे अस्वीकृत करते हुए प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता की सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादी बद्री यादव द्वारा बजरिये दो निबंधित दस्तावेज सं0 क्रमशः 7936/1987 द्वारा वादग्रस्त खाता खेसरा से रकबा 04 डी0 तथा केवाला सं0 8183/2005 से वाद खाता, खेसरा से 1 डी0 365 वर्गकड़ी भूमि क्रय कर निचले न्यायालय से दाखिल–खारिज कराकर राजस्व रसीद प्राप्त करते हुए घर वाड़ी–झाड़ी के साथ सपरिवार दखलकार है। विपक्षी पृथ्वीचंद यादव के पूर्वजों के नाम रिकमी खाता, खेसरा 1473 एवं 1474 में दर्ज है जो वादी के खरीदगी भूमि से सटे उत्तर है और इसी उत्तर आड़ में वादी ने भूमि पर विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा कर टिन का छपरी एवं खूँटा खम्भा गाड़कर अतिक्रमण कर वादी को वाद भूमि से बेदखल कर दिया गया। भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु वादी द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 एक्ट के तहत् वाद सं0 133/2012–13 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली करते हुए अंचल स्तर से भूमि की मापी कराई गई। साथ हीं स्वयं स्थल का निरीक्षण भी किया गया। वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण का जो

प्रतिवेदन अधिवक्ता कमीशनर एवं अमीन द्वारा नापी वाद सं0 27/2011–12 में दिया गया वो सही पाया गया। प्रतिवादी का यह दावा कि वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षो से रास्ता बना हुआ है, जिसे वादी द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे गलत पाया गया और अपने दिनांक 04.02.2013 को पारित आदेश द्वारा वादी के पक्ष में फैसला देते हुए विपक्षी को वाद भूमि खाली करने का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध द्वितीय पक्ष आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के न्यायालय में अपील वाद सं0 261/2013 दाखिल किया। जिसमें मान्नीय आयुक्त महोदय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सीमांकन के विवाद को लेकर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 04.03.2013 को निरस्त करते हुए अपर समाहर्त्ता, अररिया को सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित किये जाने का निदेश प्राप्त है।

इनका यह भी कहना है कि मान्नीय आयुक्त महोदय के पारित आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा BLT (Bihar Land Tribunal), Pátna में वाद सं0 480/2014 दाखिल किया गया। जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखते हुए वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

अतएव वादी के अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने का अनुरोध करते है।

विपक्षी के लगातार समयावधि आवेदन दाखिल किये जाने तथा अपना प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया जाना और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना, इससे स्पष्ट है कि वादी को ह्रास करने की नियत से वाद को निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। चूँकि वादग्रस्त भूमि से सटे खेसरा सं0 1473 एवं 1474 इनकी शिकमी खतियानी भूमि है और ये लोग वादी के क्रय भूमि को अंशभाग को अतिक्रमित कर लिया गया है। जैसा की नापी वाद सं0 27/2011–12 में नापी प्रतिवेदन तथा बहाल अधिवक्ता कमीशनर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है।

अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। निम्न न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 04.03.2013 को बहाल रखते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे 30 दिनों के अंदर मापी प्रतिवेदन के अनुसार वादी के वादग्रस्त भूमि से अपनी अवैध संरचना हटाकर उसे खाली कर दें। इसीके साथ वाद का विनिश्चय किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

ह0—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 73 (रा0)/रा0, अररिया, दिनांक 16/04/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, नरपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया